कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 2583 / FP/UK/ROAD/20179/2016 :देहरादूनः दिनांकः 27 अप्रैल, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के अंर्तगत मल्ली–बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.346 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाइन प्रोपोजल नं0– FP/UK/ROAD/20179/2016)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/02/2017/एफ0सी0/1950, दिनांकः–20–02–2018।

महोदय,

भारत सरकार, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्र संख्या–2140/12–1 दिनांक 18–04–2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः –

क0 स0	शर्तो का विवरण	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 16.692 हे0 कुमराड़ा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 16.692 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 46,51,476.18 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है व विषयगत मार्ग हेतु ली गयी 8.346 वन भूमि के सापेक्ष 2 गुने क्षेत्रफल 16.692 हे0 हेतु चयनित रथल ग्राम कुमराड़ा पट्टी दिचली मध्ये खसरा सं0–5001 रकवा 22.916 है0 से 16.692 हे0 भूमि वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तन करने हेतु जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के आदेश सं0–7310/11–05(2018–19) दिनांक 13.03.2019 के द्वारा नामान्तरण/हस्तान्तरण आदेश पारित कर दिया गया है। जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–1)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय की पत्र सं0–04/12–1(2), कोटबंगला दिनांक 02.07.2018 के द्वारा निर्धारित आवश्यक कुल रू0 70,52,370.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में ऑनलाइन चालान के माध्यम से जमा कर दी गयी है। (संलग्नक–1 के अनुसार)
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी यह प्रमाणित करती है, कि यदि एन0पी0वी0 की दर में वृद्धि होती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अतिरिक्त धनराशि जमा कर दी जायेगी। (संलग्नक–2)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए,	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्ससी द्वारा सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक खाते में जमा कर दिया गया है।

	अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	(संलग्नक–3)
5.	सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी।
6.	Stare Govt. will sumit original hard copy of FRA certificate and original/attested copy of its annexure.	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा FRA, 2006 से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
7.	Stare Govt. will upload CA scheme for double the degraded land at para 13 online part-II.	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना पूर्व में ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

27/4/22

(बी0पी0गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : /FP/UK/ROAD/20179//2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती को उनके पत्र संख्या–2140/12–1 दिनांक 18–04–2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

(बी0पी0गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।